

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

संख्या- 19/24 प्रा०पत्र

गौस सोखी तारदा तलई गिवासी- तलई रोडा तहसील- माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

नादु सोखी मोहन तलई गिवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (लिंगेरा)

(सुभंभित पाण्डुरालंका) - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24


:: आदेश ::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम तलई रोडा..... पटवार हल्का माण्डल 1..... तहसील माण्डल में उसके खाते त खाते की आराजी न० 221..... कुल किता 0.1..... रकबा 0.0253..... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही पाये दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.02.24..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तलई रोडा..... पटवार हल्का माण्डल 1..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की न० 221..... कुल किता 0.1..... रकबा 0.0253..... हैक्टेयर श्रांति तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता गढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक माण्डल..... को 500/- रुपये /- फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को ब्रते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
माण्डल

:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
माण्डल